न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी, अशोकनगर

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2017/4864

1. कीरत सिंह पुत्र श्री दीदार सिह, सिख
2. हरमीत सिंह पुत्र श्री कीरत सिंह सिख

निवासीगण– तमोईया चक्क, मोहरीराय, तहसील व जिला अशोकनगर, म0प्र0

..........आवेदकगण

बनाम

1. मंजीत कौर पत्नी राजेश सिह पुत्री कीरत सिंह, निवासी तहसील व जिला अशोकनगर
2. गुलबिन्दर कौर बेवा महेन्द्र सिंह पुत्री कीरत सिंह, निवासी हाल इन्दौर म0प्र0
3. म0प्र0 शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/अपील /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

2017 Dec- 9

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4864

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्तां श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u>**	